

25/11/2020 पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादी गण संख्या

2, 12, 19 व 20 का जवाब आदिनांक तक  
अप्राप्त। शेष प्रतिवादी के सम्मन आदिनांक  
तक पेश नहीं किए गए। अतः पत्रावली  
को अन्तर्गत आदेश 09 नियम 05  
के तहत आदिनांक तक सम्मन पेश  
नहीं होने के कारण खारीज किया जाता  
है। पत्रावली के शलसुमार होकर नम्बर  
से कम होकर काखिल रकल है।

सहायक कलेक्टर एवं  
अपठक अधिकारी, बावडी